**प्रेस नोट** **दिनांक 14.02.2026**

## डकैती के अभियोग में वांछित अभियुक्त (दुसरा मास्टर माइण्ड) गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध /अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री किश राजपूत के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा दिनांक 14.02.2026 को समय करीब 10.10 बजे डकैती के अभियोग में फरार वांछित अभियुक्त 1. सुमित गौतम पुत्र रामदीन गौतम सा0 महम्दापुर थाना अतरौली जनपद हरदोई उम्र 22 वर्ष को मुखबीर खास की सूचना के आधार पर कलेक्ट्रेट परिसर को जाने वाली रोड पर स्थित तालाब के किनारे से गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण** – उल्लेखनीय है कि आजमी हास्पिटल हकीकतपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में दिनांक 23.01.2026 की रात्रि में 04 डायलसिस मशीनो को डकैती करके लूट की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 11/2026 धारा 310(2)/317(3)/61(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत है, जिसमें पूर्व में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके है। घटना के बाद से ही शेष प्रकाश में आये अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे थे तथा पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। आज मुखबिर खास की सूचना क आधार पर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर कलेक्ट्रेट को जाने वाली रोड के किनारे स्थित तालाब के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसे रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायीक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. सुमित गौतम पुत्र रामदीन गौतम सा0 महम्दापुर थाना अतरौली जनपद हरदोई उम्र 22 वर्ष

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु.अ.सं. 0011/2026 धारा 310(2)/317(3)/61(2) बी0एन0एस0 थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 अरूण कुमार सिंह, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
2. उ0नि0 हरिकेश यादव, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
3. उ0नि0 शहजाद जमां थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
4. हे0का0 सुरजीत कुमार, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ

## 25000 रुपये का इनामिया वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल

नेतृत्व में दिनांक 14.02.2026 को थाना घोसी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त 1. विजेन्द्र यादव पुत्र स्व0 केदार यादव 2. रामजीत पुत्र विजेन्द्र यादव निवासीगण खन्तिया  थाना घोसी जनपद मऊ सम्बन्धित मु0अ0सं0-45/2026 धारा- 3(5),115(2),352,351(2),103(1) बीएनएस में वांछित थे अभियुक्त विजेन्द्र उपरोक्त के गिरफ्तारी हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25000/- रुपया का पुरस्कार घोषित किया गया था। मुखबीर खास द्वारा सूचना पर पिउवाताल से डाड़ी तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया तथा दूसरा नाबालिग को सादे वस्त्र पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लिया गया नाम पता पूछने पर रामजीत पुत्र विजेन्द्र यादव निवासीगण खन्तिया थाना घोसी जनपद मऊ बताया अभियुक्त विजेन्द्र यादव उपरोक्त जो मु0अ0सं0-45/2026 धारा- 3(5),115(2),352,351(2),103(1) बीएनएस मे वाछित व पुरस्कार घोषित है। उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण**

1. विजेन्द्र यादव पुत्र स्व0 केदार यादव निवासी खन्तिया थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 39 वर्ष

**बाल अपचारी** –

1. रामजीत पुत्र विजेन्द्र यादव निवासी खन्तिया थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 16

**पंजीकृत तथा अनवारणित अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 45/2026 धारा- 3(5),115(2),352,351(2),103(1) बीएनएस

**बरामदगी विवरण**

1. एक अदद बांस की लाठी ( आला कत्ल)

**गिरफ्तार करने वाले टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. उ.नि. पवन कुमार
3. उ0नि0 मनोज कुमार गिरी
4. का0 दयानन्द त्रिपाठी
5. का0 अंकित द्विवेदी
6. का0 रिन्कू कुमार

जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 14.02.2026 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर समाधान/थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान द्वारा समस्त थानों पर क्षेत्राधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा जनशिकायतों को सुना गया तथा इसके समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त थानों पर प्राप्त 80 प्रार्थना पत्रों में से कुल 07 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण

कराया गया तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व टीम को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराकर निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

**इंस्टाग्राम पर पढ़ाई के लिंक कें माध्यम फ्रांड कि गयी धनराशि 11800/- ( इग्यारह हजार आठ सौ) रुपये थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए इंस्टाग्राम पर पढ़ाई के लिंक कें माध्यम फ्रांड कि गयी धनराशि 11800 पीडित अनूप चौहान पुत्र अमरिंदर चौहान पता सरवनपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ आवेदक के कुल धनराशि 11800 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना कोपागंज के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

**बरामद कर्ता पुलिस टीम –**

1. उ0नि0 उमाशंकर सहायक नोडल अधिकारी
2. उप निरीक्षक प्रियंका सिंह,
3. हेड ऑपरेटर अभिजीत पटेल,
4. म0आ0 सविता मौर्या